

बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग

पत्रांक: यो0ले03/3-94/2026-
सेवा में,

/यो0वि0,पटना,दिनांक

सितम्बर, 2026

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार

वीरचन्द पटेल पथ, पटना

विषय: वित्तीय वर्ष 2026-27 अंतर्गत जिला योजना भवन, किशनगंज के मरम्मती एवं सौन्दर्यीकरण हेतु कुल ₹ 13,95,679/- (तेरह लाख पंचानवे हजार छः सौ उनासी रुपये) मात्र की राशि के व्यय एवं विमुक्ति की स्वीकृति।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि जिला योजना भवन, किशनगंज के मरम्मती एवं सौन्दर्यीकरण कार्य के लिए कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-किशनगंज की तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलित राशि ₹ 14,01,700/- (चौदह लाख एक हजार सात सौ रुपये) मात्र पर जिला योजना पदाधिकारी, किशनगंज के ज्ञापांक 41 दिनांक 15.01.2024 द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है एवं ₹ 13,95,679/- (तेरह लाख पंचानवे हजार छः सौ उनासी रुपये) आवंटन की मांग की गयी है। विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 184 दिनांक 23.02.2026 द्वारा आवंटन उपलब्ध करया गया, जिला योजना पदाधिकारी, किशनगंज के पत्रांक 535 दिनांक 30.06.2026 द्वारा सूचित किया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राप्त आवंटन के विरुद्ध व्यय नहीं होने के कारण राशि का प्रत्यर्पण कर दिया गया। पुनः उक्त कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 अंतर्गत जिला योजना पदाधिकारी, किशनगंज द्वारा ₹ 13,95,679/- (तेरह लाख पंचानवे हजार छः सौ उनासी रुपये) का आवंटन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। तदालोक वित्तीय वर्ष 2026-27 में विपत्र कोड-35- 2053000940109 के विषय शीर्ष-2702-लघु कार्य अनुरक्षण एवं मरम्मति हेतु निम्नांकित सारणी अंतर्गत नाम के सम्मुख अंकित राशि स्वीकृत करते हुए ₹ 13,95,679/- (तेरह लाख पंचानवे हजार छः सौ उनासी रुपये) मात्र की राशि के व्यय एवं विमुक्ति की स्वीकृति दी जाती है।

क्र0	कार्यालय का नाम	योजना का नाम	राशि
1	जिला योजना कार्यालय, किशनगंज	जिला योजना भवन, किशनगंज के मरम्मती एवं सौन्दर्यीकरण कार्य।	₹ 13,95,679/-
	कुल		₹ 13,95,679/-

(तेरह लाख पंचानवे हजार छः सौ उनासी रुपये) मात्र।

2. उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2026-27 मांग संख्या-35, मुख्य शीर्ष-2053-जिला प्रशासन, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-094-अन्य स्थापनाएँ, उप शीर्ष-0109-योजना यंत्र का सुदृढीकरण जिला योजना के तहत स्थानीय आवश्यकताओं के आलोक में विपत्र कोड-35-2053000940109 के विषय शीर्ष-2702-लघु कार्य अनुरक्षण एवं मरम्मति अंतर्गत विकलनीय होगा जिसके अन्तर्गत बजट उपबंध है।

3. कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-किशनगंज से प्राप्त तकनीकी अनुमोदन के उपरांत जिला योजना पदाधिकारी, किशनगंज के ज्ञापांक 41 दिनांक 15.01.2024 द्वारा प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति पत्रांक 118 दिनांक 06.02.2026, पत्रांक 535 दिनांक 30.06.2026 एवं पत्रांक 642 दिनांक 01.08.2026 के आलोक में आवंटन की स्वीकृति दी जा रही है।

4. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला योजना पदाधिकारी, किशनगंज होंगे।
5. जिला योजना पदाधिकारी, किशनगंज उक्त कार्य के आलोक में संबंधित अधीक्षण अभियंता से गुण नियंत्रण प्रतिवेदन प्राप्त कर विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
5. उक्त योजना की प्रशासनिक स्वीकृति सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रदान की गयी है।
6. इस राशि का उपयोग उसी कार्य के लिए किया जायेगा, जिस कार्य के लिए स्वीकृति दी गई है। किसी अन्य मद में इस राशि का उपयोग कदापि नहीं किया जायेगा। इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे।
7. राशि की निकासी एवं व्यय करने में बिहार कोषागार संहिता तथा बिहार वित्तीय नियमावली के सुसंगत प्रावधानों तथा वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों/अद्यतन अनुदेशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा।
8. संबंधित जिला योजना पदाधिकारी/कार्यपालक अभियंता प्रत्येक माह योजना पर किये गये व्यय का प्रतिवेदन विभाग को समर्पित करेंगे।
9. प्रस्ताव पर विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(ददन प्रसाद खरवार)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक: यो0ले03/3-94/2026- /यो0वि0,पटना,दिनांक सितम्बर, 2026
प्रतिलिपि: कोषागार पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक: यो0ले03/3-94/2026- 722 (बी) /यो0वि0,पटना,दिनांक 01 सितम्बर, 2026
प्रतिलिपि: मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, विश्वेश्वरैया भवन, पटना/जिला पदाधिकारी, किशनगंज/क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया/अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया/जिला योजना पदाधिकारी, किशनगंज/कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-किशनगंज/विभागीय बजट शाखा/आई0टी0 मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आई0टी0 मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि इस स्वीकृत्यादेश को विभाग के साईट पर अपलोड करा दें।

722
01/09/2026
सरकार के उप सचिव